



Neutral Citation No - 2026:AHC:8002

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 238 सन् 2026

चंद्र सेठ मिश्रा और अन्य

.....याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता : आनंद प्रकाश यादव, कृष्ण नंद यादव

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्ण नंद यादव और राज्य-प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव को सुना गया।

2. याचिकाकर्तागण का प्रकरण यह है कि याचिकाकर्तागण ने दावा याचिका संख्या 470/1/90 दायर करते हुए राज्य लोक सेवा न्यायाधिकरण लखनऊ का रुख किया था जिसका निस्तारण 20.08.1994 को हुआ था, जिसमें प्रत्यर्थीगण को निर्देश दिया गया था कि वे याचिकाकर्तागण के सेवा नियमितीकरण के दावे पर विचार करें, उस तिथि से जिस तिथि से कनिष्ठों को सेवा नियमितीकरण प्रदान किया गया है। लोक सेवा न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध राज्य द्वारा सेवा एकल रिट याचिका संख्या 349/1996 दायर की गई थी, जिसे 16.05.2011

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



को खारिज कर दिया गया था। रिट याचिकाकर्ता संख्या 1 दिनांक 31.08.2016 को और याचिकाकर्ता संख्या 2 दिनांक 31.03.2017 को सेवानिवृत्त हो गए।

3. इस याचिका में याचिकाकर्तागण को दिनांक 20.08.1994 के निर्णय एवं आदेश के अनुसार परिणामी लाभ प्रदान करने की प्रार्थना की गई है।

4. न्यायालय की राय में, यह न्यायालय न्यायाधिकरण के आदेश को क्रियान्वित करने वाला न्यायालय नहीं है और इसके अतिरिक्त, इस बात का कोई विचारणीय स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि किन परिस्थितियों में याचिकाकर्तागण को इस न्यायालय में आने से रोका गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि सेवानिवृत्ति के बाद याचिकाकर्तागण द्वारा एक नया अध्याय खोला जा रहा है, जिसे न्यायालय की राय में स्वीकार या सराहा नहीं जा सकता।

5. तदनुसार, रिट याचिका **खारिज** की जाती है।

13 जनवरी, 2026

ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)